फा.सं. 5/2/2012-स्था.(वेतन-I) (वोल.II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 13 अगस्त, 2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों आदि के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती आधार पर केन्द्र सरकार के पदों पर नियुक्ति पर वेतन के संरक्षण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 07.08.1989 के का.ज्ञा. सं. 12/1/88-स्था. (वेतन-I), दिनांक 28.02.1992 के का.ज्ञा. सं. 12/1/88-स्था. (वेतन-I), दिनांक 08.06.1993 के का.ज्ञा. सं. 12/1/88-स्था. (वेतन-I), दिनांक 10.07.1998 के का.ज्ञा. सं. 12/1/96-स्था. (वेतन-I), दिनांक 30.03.2010 के का.ज्ञा. सं. 12/3/2009- वेतन-I और दिनांक 28.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 12/3/2017-स्था. (वेतन-I) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिनके तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकार के उपक्रमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि, विश्वविद्यालयों, अर्ध-सरकारी संस्थाओं, स्वायत्तशासी निकायों तथा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत उम्मीदवारों की विभागीय प्राधिकरणों सहित एक उचित रूप से गठित एजेंसी के माध्यम से चयन पर सीधी भर्ती कार्मिक के रूप में उनकी नियुक्ति पर वेतन के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

2. इस विभाग के दिनांक 07.08.1989 के का.ज्ञा. की निश्चित परिधि तथा उन शर्तों, जिनके तहत उस का.ज्ञा. के अधीन लाभ लागू हैं, के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के कुछ मामले प्राप्त होने पर इस विभाग के दिनांक 10.07.1998 के का.ज्ञा. सं. 12/1/96-स्था. (वेतन-I) के तहत स्पष्ट किया गया था कि उपर्युक्त आदेशों के अधीन वेतन संरक्षण केवल तभी उपलब्ध है, जब चयन साक्षात्कार के माध्यम से हो न कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से।

3. तथापि, विभिन्न न्यायालयी निर्णयों तथा विभिन्न समय पर प्राप्त हुए संदर्भों के मद्देनजर, पैरा-1 में संदर्भित क्षेत्रीय स्रोतों (पीएसयू, विश्वविद्यालयों आदि) से आने वाले उम्मीदवारों के वेतन निर्धारण की ऊपर उल्लेख की गई नीति की समीक्षा की गई है।

4. माननीय राष्ट्रपति यह निर्णय लेते है कि अब से, चयन की पद्धति के बावजूद भी, केन्द्र सरकार के उन पदों पर नियुक्त हुए सीधी भर्ती वाले कार्मिकों के लिए वेतन संरक्षण के लाभ उपलब्ध रहेंगे, जिनके लिए संगत भर्ती नियम, सीधी भर्ती की पद्धति के अधीन नियुक्ति हेतु क्षेत्रीय स्रोतों (स्वायत्तशासी निकायों, पीएसयू आदि) से एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अनुभव के वर्षों की न्यूनतम संख्या की अपेक्षा निर्धारित करते हों। इन लाभों की अनुमति, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना दी जाएगी कि पद को भर्ती एजेंसी द्वारा साक्षात्कार के आधार पर अथवा खुली प्रतियोगी परीक्षा अथवा दोनों के आधार पर भरा जाता है।

5. यह कार्यालय ज्ञापन, इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इनके लागू होने के संबंध में, ये आदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श के उपरांत जारी किए जाते हैं।

7. इस कार्यालय ज्ञापन के हिन्दी व अंग्रेजी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेजी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

(ए. के. जैन)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिप प्रेषितः

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
2. महासचिव, भारतीय उच्चतम न्यायालय।
3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
5. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग)/जेसीए/प्रशासन अनुभाग।
7. सचिव, जेसीएम (कर्मचारी पक्ष) की राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
8. जेसीएम/विभागीय परिषद की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/पीईएसबी के सभी अधिकारी/अनुभाग।
10. संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।
11. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।

(ए. के. जैन)
उप सचिव, भारत सरकार